प्रेस नोट **06 / 11 / 2023**

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत छेड़खानी मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त 02 वर्ष के कठोर कारावास से किया गया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 06.11.2023 को माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट मऊ द्वारा आज दिनांक 06–11–2023. को, मु0अ0सं0 509/2018 .धारा 354क,504, 506 भादवि व एससी/ एसटी एक्ट थाना सरायलखंसी में दोषसिद्ध अभियुक्त हीरालाल पुत्र सुखलाल यादव नि0 बीवी पुर थाना स0ल0 मऊ को 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सतेन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक सुनील मलिक, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी केश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.11.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नंदवासरांय मोड़ के पास से मु0अ0सं0 434/23 धारा 363,367डी भादवि व 5(डी)6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्तों क्रमशः लकी उर्फ प्रियांशू पुत्र विरेन्द्र यादव, सतीश यादव पुत्र नागेन्द्र निवासीगण डांडी थाना घोसी मऊ व नीरज यादव उर्फ यशवंत पुत्र बेचू निवासी बिरैंचा थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।